न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 28/2023
दायर दिनांक : 14/06/2023
निर्णय दिनांक : 02/12/2024

उनवान

1. भगवानलाल पिता नोलाजी लाऔलाद फौत के बजाय –
   1/1 कालूराम पिता नन्दराम खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
   1/2 प्रेमचन्द पिता नन्दराम खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
   1/3 हरलाल पिता नन्दराम खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
   1/4 मोहनलाल पिता नन्दराम खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
   1/5 भैरूलाल पिता प्यारचन्द खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
   1/6 मोतीलाल पिता वरदा खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
   1/7 सोहनलाल पिता नारू खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
   1/8 श्यामलाल पिता नारू खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता नाथू खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
2. किशनलाल पिता लच्छीराम खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब बंद नहीं किया जाने से जवाब बंद किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम ताणा की खाता संख्या 347 में दर्ज आ.सं. 2042रकबा 0.08 है., आ.सं. 2053 रकबा 0.20 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त कर साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 18:17:55 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर